अनुक्रिया योजना

जिला मन्दसौर में किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया हेतु कुल दस प्रकार के दलों का गठन किया गया है। विभिन्न दलों द्वारा अनुक्रिया हेतु किये जाने वाले प्रमुख कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत है –

अनुक्रिया हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर गठित आपात सहायता दलों का विवरण

क्र.स.	कार्य	दलो की संख्या	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
1	संचार सहायता एवं सूचना	8+1=9	उपजिलाधिकारी	पुलिस, रेवेन्यू, वायरलैस, प्रायवेट मो. ऑपरेटर, टीवी केबल आपरेटर, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, विद्यालय, दूरसंचार विभाग
2	स्थल खाली कराना	8+1=9	राजस्व (तहसीलदार)	पुलिस, राजस्व, होम गार्ड, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय
3	खोज एवं बचाव	8+1=9	होमगार्ड विभाग	पी.डब्ल्यू.डी., नगर पंचायत/ नगर पालिका, अग्निशमन, स्वयंसेवी संगठन, एन.एस.एस., एन.सी.सी. ग्राम पंचायत
4	कानून व्यवस्था	8+1=9	पुलिस विभाग	होमगार्ड, नगर/ग्राम

				सुरक्षा समिति, राजस्व, एन.सी.सी, वन विभाग
5	चिकित्सा एवं परामर्श	8+1=9	चिकित्सा	रेडक्रास, प्राइवेट डाक्टर, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग
6	भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, राहत/पुर्न स्थापना	8+1=9	पी0एच0ई0/नगरीय निकाय	परिवहन, जल संसाधन, पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम, नगरपालिका, ग्रामीण विकास, लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग,
7	मलवा सफाई एवं रास्ता निर्माण, मृत पशुओ कूडे कचरे का निपटारा	8+1=9	पी0डब्ल्यू0डी0/नगरीय निकाय	पी0डब्ल्यु0डी0, नगर पालिका / नगर पंचायत /ग्राम पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग
8	बिजली	8+1=9	एम.पी.ई.बी.	एम.पी.ई.बी. सौर उर्जा
9	यातायात व्यवस्था	8+1=9	परिवहन	परिवहन, रेल्वे, नगरपालिका, वन विभाग, पुलिस
10	आश्रय प्रबन्धन, नुकसान ऑकलन	8+1=9	मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचायत	नगरपालिका, होटल एवं लॉज ऐसोसिएशन, शिक्षा विभाग, ऑगनवाड़ी, ग्राम

				पंचायत, राजस्व, आर.ई. एस., लोनिवि, कृषि, खाद्य आपूर्ति, कृषि उपज मण्डी, वन विभाग

1. संचार, सहायता एवं चेतावनी प्रसारण दल

यह दल मुख्य एवं प्राथमिक रूप से संचार सेवाओं के बहाली एवं चेतावनी प्रसारण हेतु उत्तरदायी होगा। जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

नोडल विभाग : उपजिलाधिकारी

सहयोगी विभागः पुलिस, रेवेन्यू, वायरलैस, प्रायवेट मो. ऑपरेटर, टीवी केबल आपरेटर, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, विद्यालय, दूरसंचार विभाग

संचार सहायता एवं चेतावनी प्रसारण दल द्वारा किये जाने वाले कार्यः

- जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय द्वारा आपदा की सूचना मिलने के उपरान्त संचार दल प्रमुख द्वारा संचार दलों को सूचित एवं गतिशील किया जायेगा।
- संचार दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
- संचार दल प्रमुख द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।
- सहयोगी विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर दल प्रमुख ''संचार'' द्वारा एक समिति गठित कर वास्तविक नुकसान का ऑकलन किया जायेगा।

- आपदा क्षेत्र में तत्काल, वैकल्पिक एवं प्रभावी संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- दल प्रमुख संचार सहयोगी विभागों को आपदा क्षेत्र के संसाधनों, उपरकणों की स्थिति के विषय में अवगत करायेंगे।
- दल प्रमुख ''संचार'' की स्थिति के विषय में कलेक्टर/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत करायेगें।
- दल प्रमुख संचार समस्त सहयोगी विभागों की बैठक आयोजित करेंगे तथा आवश्यकतानुरूप निजी/गैर–सरकारी टेलीफोन ऑपरेटरों हेतु, एक कार्य योजना विकसित करेंगे।
- दल प्रमुख संचार किये गये कार्यों के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को अवगत कराया जायेगा। आवश्यकतानुरूप मोबाईल एक्सचेन्ज की स्थापना भी की जायेगी।
- आम जनता हेतु अस्थायी नम्बर जारी किये जायेंगे तथा इस विषय में पूर्व सूचना मीडिया तथा प्रेस के माध्यम से प्रचारित किया जायेगा।
- यदि जिले में हैम रेडियो है तो उनके संचालको को सूचित किया जायेगा तथा वर्तमान स्थिति तथा उससे निपटने के लिए किये गये प्रयास के विषय में अवगत कराया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा सघन मानीटरिंग की जायेगी तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकता अनुरूप और अधिक स्टॉफ की भर्ती एवं गतिशील किया जायेगा।
- दल प्रमुख संचार द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रो में त्वरित कार्यवाही हेतु आवश्यक उपकरण एवं संसाधन भेजा जायेगा।
- घटना से सम्बन्धित नवीनतम् जानकारी से राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को अवगत कराते हुए आवश्यक धन राशि संग्रह हेतु अपील जारी की जायेगी।

- आपात सहायता सूचना हेतु टोल फ्री नम्बरो की स्थापना।

त्वरित कार्यदल संचार एवं चेतावनी प्रसारण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किये जाने वाले कार्य

- त्वरित कार्यवाही दल सूचना एवं प्रसारण द्वारा सूचना मिलने के बाद यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेगें तथा दल प्रमुख संचार एवं चेतावनी प्रसारण से आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

- त्वरित कार्यदल द्वारा जमीनी हकीकत का अवलोकन/ऑकलन कर रिपोर्ट दल प्रमुख संचार एवं चेतावनी प्रसारण को प्रेषित किया जायेगा।

- त्वरित कार्यदल द्वारा संचार एवं चेतावनी प्रसारण प्रमुख को प्रेषित किये जाने वाले रिपोर्ट में निम्न तथ्य आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

1 लगभग कुल नुकसान।

2 कुल कितने कि0मी0 तक नुकसान हुआ है।

3 कुल नुकसान केबल (मीटर में)

4 जनसमुदाय के उपयोग हेतु स्थायी कनेक्शन की स्थापना।

5 संचार सेवाओं के यथाशीघ्र बहाली हेतु मानव संसाधन, उपकरण, परिवहन, मोटरगाड़ी इत्यादि संसाधनो की आवश्यकता का ऑकलन।

6 अस्थायी मजदूरों की मद्द से सड़क पर बिखरे खम्भों, तारों को हटाते हुए पुनः बहाली का कार्य प्रारम्भ करना।

7 प्राप्त सामग्री उपकरण तथा बचाये हुए सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु किसी चिन्हित भवन की मरम्मत।

8 समस्त गतिविधियों की सूचना दल प्रमुख संचार तथा जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को प्रेषित किया जायेगा।

2. स्थल खाली कराना दल :

इस दल का प्राथमिक उद्देश्य स्थल खाली करने की कार्ययोजना विकसित करना है। सुरक्षित एवं नजदीकी रास्तों की पहचान तथा सुरक्षित निकाले गये व्यक्तियों के रहने हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं समन्वय।

नोडल ऐजेन्सी : राजस्व (तहसीलदार)

सहयोगी विभागः पुलिस, राजस्व, होम गार्ड, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय

दल द्वारा किये जाने वाले कार्यः

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष द्वारा आपदा की सूचना प्राप्त हेते ही दल प्रमुख द्वारा समस्त सदस्यों को क्रियाशील कर दिया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों को आपदा के विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान किया जायेगा।
- त्वरित कार्यवाही दल को आपदा प्रभावी क्षेत्र में भेजने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा स्थल खाली कराने हेतु पूर्व चिहिन्त रास्तों के विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी।
- जहॉ पूर्व चिहिन्त रास्ते उपलब्ध नही होंगे नोडल अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष में उपलब्ध अन्य नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करेगा तथा अन्य वैकल्पिक मार्गों की पहचान करेगा।

त्वरित कार्यवाही दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- दल प्रमुख से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही दल के सदस्य शीघ्र अतिशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेगें।
- नोडल कार्यालय से आदेश प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही दल अतिशीघ्र आपदा स्थल पर पहुंचेगे।
- त्वरित कार्यदल आपदा स्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।
- त्वरित कार्यदल स्थानीय टास्क फोर्स की मद्द से लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- त्वरित कार्यदल द्वारा सर्वाधिक प्रभावित आपदा स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर खाली कराया जायेगा।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष तथा नोडल कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. खोज एवं बचाव दलः

किसी भी आपदा के तुरन्त बाद खोज एवं बचाव एक प्रमुख गतिविधि है। इस गतिविधि के सक्रिय कार्यवाही से जान/माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

नोडल विभाग : होमगार्ड विभाग

सहयोगी विभागः पी.डब्ल्यू.डी., नगर पंचायत/ नगर पालिका, अग्निशमन, स्वयंसेवी संगठन, एन.एस.एस., एन.सी.सी. ग्राम पंचायत

खोज एवं बचाव दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दल प्रमुख को घटना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों को घटना की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा जिला स्तरीय त्वरित कार्य दल को रवाना किया जायेगा।
- यदि आवश्यक हो तो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा खोज एवं बचाव कार्य का ऑकलन किया जायेगा।

त्वरित कार्यदल खोज एवं बचाव द्वारा किये जाने वाले कार्य

- क्षति का ऑकलन स्थान, क्षतिग्रस्त कुल भवनों की संख्या, क्षतिग्रस्तता का स्तर इत्यादि।
- त्वरित कार्यदल खोज एवं बचाव को सबसे अधिक प्रभावित स्थलों पर पहले भेजा जायेगा।
- खोज एवं बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों, वस्तुओ की सूची तैयार किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल खोज एवं बचाव द्वारा प्रगति की सूचना जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

4. कानून व्यवस्था दलः

किसी भी आपदा के समय कानून व्यवस्था का नियन्त्रण, महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा, लूटमार को रोकना, दंगे की स्थिति को नियन्त्रण में करना इत्यादि इस दल का महत्वपूर्ण कार्य है।

नोडल ऐजेन्सी : पुलिस विभाग

सहयोगी विभाग : होमगार्ड, नगर/ग्राम सुरक्षा समिति, राजस्व, एन.सी.सी, वन विभाग जिला कलेक्टर द्वारा दल प्रमुख कानून व्यवस्था को घटना की जानकारी प्रदान कर आपात सेवा को गतिशील किया जायेगा।

- दल प्रमुख द्वारा समस्त सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों को घटना से अवगत कराया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा त्वरित कार्यदल को गतिशील किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल का प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जायेगा।
- यदि आवश्यक हो तो समन्वय हेतु पूरे क्षेत्र में अथवा घटना स्थल पर दर्शकों, वाहनों तथा पैदल आने–जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी जायेगी।
- इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

त्वरित कार्यवाही दल कानून व्यवस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य

- क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का त्वरित ऑकलन।
- स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय एवं सहयोग कानून व्यवस्था की स्थिति के विषय में प्रत्येक 4–6 घण्टे के उपरान्त उच्चाधिकारियों/जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को प्रगति के विषय में अवगत कराना।

- दंगे तथा लूट की स्थिति पर नियन्त्रण रखना तथा संवेदनशील स्थलों की घेराबन्दी करना।
- प्रभावित स्थल के महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा।
- यातायात का नियन्त्रण एवं मानिटरिंग।
- आवश्यकता होने पर यातायात की दिशा बदलना।
- विभिन्न मार्गो पर यातायात दबाव का ऑकलन विशेषकर संकरे स्थलों का।
- समस्त कार्यवाही, गतिविधियों इत्यादि की सूचना पुलिस नियन्त्रण कक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को उपलब्ध कराना तथा अन्य आवश्यक सामग्री के विषय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अवगत कराना।

5. चिकित्सा एवं परामर्श दलः

इस दल द्वारा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सकीय एवं आवश्यक परामर्श सेवायें प्रदान की जायेगी।

नोडल विभाग : चिकित्सा,

सहयोगी विभाग : रेडक्रास, प्राइवेट डाक्टर, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग।

चिकित्सा एवं परामर्श दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जिला कलेक्टर द्वारा चिकित्सकीय दल प्रमुख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को आपात सहयोग दल को गतिशील करने का निर्देश दिया जायेगा।
- दल प्रमुख चिकित्सा द्वारा सहयोगी विभागों की बैठक बुलायी जायेगी।

- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों का दल घटना स्थल पर पहुंचे, यदि आवश्यकता हो तो नजदीकी जिलों के विशेषज्ञों को भी घटना स्थल पर भेजने हेतु आवश्यक प्रयास किया जायेगा, चिकित्सकीय दल को घटना स्थल पर भेजने हेतु वाहनों की आवश्यकता हेतु दल प्रमुख यातायात के साथ समन्वय किया जायेगा।

- यदि आपदा प्रभावित व्यक्तियों के रहने हेतु अस्थायी व्यवस्था किया गया है तो उस स्थिति में घटना के बाद महामारी फैलने से रोकने हेतु उच्च स्तरीय स्वच्छता व्यवस्था की जायेगी।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो में दवाई, डाक्टर तथा अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में एवं लगातार पहुंचे इसकी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

- भूकम्प आपदा के समय आर्थोपेडिक केसों के फालोआप हेतु आपदा प्रभावित लोगों/क्षेत्रों के पास ही अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- पर्याप्त एवं उपयुक्त चिकित्सा सेवा, दवाईयों इत्यादि प्रदान करने के लिए दल प्रमुख चिकित्सा द्वारा राज्य से सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रयास किया जायेगा।

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष के निर्देश पर दल प्रमुख चिकित्सा द्वारा निम्न सामग्री भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1 दवाइयॉ, वैक्सीन, प्लास्टर, सिरिंज एवं अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सकीय सामग्री

2 अतिरिक्त ब्लड, अतिरिक्त डाक्टर, अतिरिक्त सहायक कर्मचारी उपकरण तथा चिकित्सकीय उपकरण।

3 सुगम यातायात हेतु साधन।

त्वरित कार्य दल चिकित्सा दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- त्वरित कार्यदल चिकित्सा द्वारा स्थिति से सम्बन्धित प्रगति विवरण तथा किये गये कार्यों के विषय में जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को अवगत कराया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल चिकित्सा द्वारा, चोटों के प्रकार, प्रभावित लोगों की संख्या तथा आवश्यक चिकित्सकीय सहायता का ऑकलन किया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल चिकित्सा द्वारा आपदा प्रभावित लोगों की आवश्यकतानुरूप चिकित्सा तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  1 आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपचार केन्द्रों एवं स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना।

  2 जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी के आधार पर चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराना।

  3 आपदा उपरान्त महामारी फैलने से रोकने हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रों के प्रवेश एवं निकास स्थलों पर निरीक्षण/निगरानी केन्द्रों की स्थापना।

6. भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, राहत पुर्न स्थापना दल

इस दल की भूमिका आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीने तथा अन्य कार्यों हेतु समुचित एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना है। जिससे आपदा के उपरान्त प्रभावित क्षेत्रों में महामारी न फैल सके।

आपदा के समय जान माल की क्षति के कारण राहत सामग्री वितरण की आवश्यकता होती है। इस दल द्वारा घटना से प्रभावित लोगों, राहत से जुडे प्रबन्धकों, कार्यकर्ताओं को आवश्यक अस्थायी आश्रय, भोजन, पानी इत्यादि का प्रबन्ध करना होता है।

नोडल विभागः पी0एच0ई0/नगरीय निकाय

सहयोगी विभागः परिवहन, जल संसाधन, पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम, नगरपालिका, ग्रामीण विकास, लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग,

भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, पुर्न स्थापना दल के कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही दल को क्रियाशील किया जायेगा।
- किसी भी आपदा के समय जान माल की क्षति के कारण राहत सामग्री वितरण की आवश्यकता होती है। इस दल द्वारा घटना से प्रभावित लोगो, राहत से जुडे प्रबन्धको, कार्यकाताओं को आवश्यक अस्थायी आश्रय, भोजन, पानी इत्यादि का प्रबन्ध करना होता है।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों को त्वरित सूचना प्रेषित कर गतिशील किया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा पानी वितरण में महिलाओं, बच्चो, बूढ़ो एवं बीमार व्यक्तियों को विशेष ध्यान दिया जायेगा।

त्वरित कार्य दल भोजन एवं पेयजल व्यवस्था पुर्न स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो एवं राहत कैम्पों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- अस्थायी सीवर तथा नाली की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- प्रगति एवं कृत कार्यवाही के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को सूचित करना।
- दल प्रमुख भोजन एवं पेयजल व्यवस्था पुर्न स्थापना को आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के विषय में अवगत कराना।
- पानी व्यवस्था के समुचित वितरण हेतु आवश्यक आपात सुधार करना।

- पीने योग्य पानी के श्रोतों का चिन्हिकरण तथा इस विषय में स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- अनुपयोगी पानी के स्त्रोतों की पहचान करना तथा लोगों को उन स्त्रोतों से पानी लेने से रोकने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
- सामान्य पानी के वितरण प्रारम्भ होने तक ट्रांसिट कैम्पों, राहत कैम्पो, पशु कैम्पों तथा प्रभावित क्षेत्रो में पानी वितरण एवं संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- राहत कैम्पों में अस्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- त्वरित कार्य दल घटना स्थल पर स्थापित आश्रय स्थलों पर यथाशीघ्र पहुंचेगें।
- घटना से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरण हेतु आवश्यक प्रबन्धन करना।
- त्वरित कार्यदल द्वारा कृत कार्यवाही से जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को अवगत कराया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल द्वारा दल प्रमुख भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, पुर्न स्थापना को और अधिक संसाधन के विषय में अवगत कराया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल द्वारा घटना स्थल के समीप राहत शिविर स्थापना हेतु आवश्यक साफ–सफाई किया जायेगा।
- स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राहत शिविरों में आवश्यक दूरभाष सेवाओं की स्थापना।
- खाद सामग्री की प्राप्ति तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री का वितरण सुनिचित किया जायेगा।
- परिवारों को घर ले जाने हेतु भोजन पैकेटों का निर्माण एवं वितरण।

- समस्त प्रभावित लोगों, विशेषकर महिला, बच्चों, गर्भवती महिला, बूढ़ों एवं अपाहिजों को प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।

7. मलवा सफाई रास्ता निर्माण एवं मृत पशुओं कूडे कचरे का निपटारा दल

किसी भी बड़ी आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, तूफान इत्यादि भवनों को ज्यादा नुकसान होता है। इस दल द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न उपकरणों की सहायता से मलवा हटाने तथा मुख्य सड़कों से मलवा हटाकर उसे साफ करना है। जिससे राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लायी जा सके। किसी भी आपदा स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों/जानवरों के मृत शरीरों का समुचित निस्तारण किया जाना अति आवश्यक होता है। जिससे आपदा उपरान्त महामारी फैलने से रोका जा सके।

नोडल एजेन्सीः पी0डब्ल्यू0डी0/नगरीय निकाय

सहयोगी विभागः पी0डब्ल्यु0डी0, नगर पालिका / नगर पंचायत /ग्राम पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग

मलवा सफाई रास्ता निर्माण एवं मृत पशुओ कूडे कचरे का निपटारा दल के कार्य

जिला आपदा प्रबंधन कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों/दलों को गतिशील कर किया जायेगा।

- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों के प्रमुखों को त्वरित सूचना प्रेषित की जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों से माल गोदाम से उपकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय किया जायेगा।
- सहयोगी विभागों द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को केन्द्रीय माल गोदाम से उपकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जायेगा।

- उपकरण जैसे जे0सी0बी0, कांक्रीट कटर तथा अन्य आवश्यकतानुसार उपकरणों को घटना स्थल पर भेजा जायेगा।
- नोडल अधिकारी, मलबा एवं सड़क सफाई द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों, भवनों इत्यादि का ऑकलन किया जायेगा।
- सभी सहयोगी विभागों द्वारा आपदा क्षेत्र के सड़कों, रेल नेटवर्क इत्यादि का निरीक्षण किया जायेगा।

त्वरित कार्यदल मलवा सफाई एवं रास्ता निर्माण, मृत पशुओं कूडे कचरे का निस्तारण

- नुकसान ऑकलन, नुकसान क्षेत्र, क्षतिग्रस्त भवनो की संख्या एवं क्षतिग्रस्तता के स्वरूप का ऑकलन किया जायेगा।
- सम्पूर्ण आपदा प्रभावित क्षेत्रो से मलवा हटाने एवं सड़क सफाई हेतु आवश्यक उपकरणो की सूची तैयार करना।
- त्वरित कार्यदल द्वारा स्थिति एवं प्रगति के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- आपदा प्रभावित लोगो को राहत कैम्पों तक पहुंचाने, चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल द्वारा मृत पशुओं/मानवों के शवों का उचित निस्तारण किया जायेगा।

8. विद्युत व्यवस्था दलः

आपदा सहायता दल–विद्युत द्वारा आपदा उपरान्त विद्युत वितरण व्यवस्था की जायेगी। आपदा के उपरान्त आपदा क्षेत्रो के सब स्टेशन एवं विद्युत व्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित होता है।

नोडल ऐजेन्सी : म0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड

सहयोगी विभाग : म0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड

विद्युत विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख विद्युत द्वारा आपदा सम्बन्धित दलों को गतिशील किया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा त्वरित कार्य दल को गतिशील किया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल को घटना प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जायेगा, इनके साथ आकस्मिक मरम्मत की आवश्यक सामग्री, टेन्ट तथा भोजन भी होगा।

त्वरित कार्यदल विद्युत द्वारा किये जाने वाले कार्य

- दल प्रमुख विद्युत द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद त्वरित कार्यावाही दल के सदस्य यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेंगे।
- नोडल अधिकारी से सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यदल घटना स्थल पर पहुंचेंगे।
- घटना स्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्यदल के सदस्य स्थिति के विषय में स्थानीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करेंगे।
- मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- अस्पतालों में त्वरित बिजली आपूर्ति जनरेटर के मद्द से चालू किया जायेगा।

- त्वरित कार्य दल द्वारा सरकारी/गैर–सरकारी पानी की व्यवस्था चालू करने हेतु बिजली के अस्थायी प्रबन्ध किया जायेगा।

- त्वरित कार्य दल द्वारा ट्रांजिट कैम्प, रिलीफ कैम्प, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर बिजली का अस्थायी प्रबन्ध किया जायेगा।

- त्वरित कार्यदल द्वारा राहत सामग्री गोदाम में आवश्यक रूप से बिजली की व्यवस्था की जायेगी। विभिन्न उपकेन्द्रों तथा रिसिविंग केन्द्रो के उपकरणों की मदवार सूची बनाकर जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. यातायात व्यवस्था दलः

किसी भी आपदा के उपरान्त घटना स्थल पर राहत दल, उपकरण एवं राहत सामग्री भेजनें हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। इस दल की भूमिका जिले के अन्दर यातायात की व्यवस्था करना है, जिससे राहत कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।

नोडल विभाग : परिवहन विभाग,

सहयोगी विभाग : परिवहन, रेल्वे, नगरपालिका, वन विभाग, पुलिस

परिवहन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त दल प्रमुख परिवहन द्वारा ''आपात सहयोग गतिविधियॉ'' को गतिशील किया जायेगा।

- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागो के नोडल अधिकारियों को आपदा एवं आपात सहयोग क्रिया की गतिशीलता के विषय में अवगत कराया जायेगा।

- दल प्रमुख द्वारा वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से सम्पर्क किया जायेगा।

त्वरित कार्य दल–परिवहन द्वारा किये जाने वाले कार्य

- दल प्रमुख से सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्य दल के सभी सदस्य नोडल विभाग में पहुंचेगे।
- नोडल अधिकारी से सूचना मिलते ही त्वरित कार्य दल घटना स्थल पर पहुंचेगे।
- त्वरित कार्य दल द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को विभिन्न प्रकार के वाहनो जैसे ट्रक, नाव, बस, जीप इत्यादि के जरूरत के विषय में जानकारी प्रेषित किया जायेगा।

10. आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान ऑकलन दल

किसी भी आपदा के समय एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है। प्रभावित लोगों को तुरन्त आश्रय उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। किसी भी आपदा के तुरन्त बाद यह जानना अत्यन्त आवश्यक होता है कि क्या–क्या नुकसान हुआ है एवं नुकसान की गम्भीरता एवं प्रकृति कैसी है, यह कार्य प्रमुख रूप से आश्रय प्रबंधन एवं नुकसान ऑकलन दल के द्वारा किया जायेगा।

नोडल विभागः मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचायत

सहयोगी विभागः नगरपालिका, होटल एवं लॉज ऐसोसिएशन, शिक्षा विभाग, ऑगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, राजस्व, आर.ई.एस., लोनिवि, कृषि, खाद्य आपूर्ति, कृषि उपज मण्डी, वन विभाग।

आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान ऑकलन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से घटना की सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान ऑकलन द्वारा आकस्मिक सहायता गतिविधि को गतिशील किया जायेगा।

- घटना की सूचना नोडल विभागों को प्रदत्त की जायेगी।
- घटना की सूचना प्राप्त होते ही नोडल विभाग द्वारा त्वरित कार्य दल को आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान ऑकलन सम्बन्धी विभिन्न सामग्री के साथ रवाना किया जायेगा।

त्वरित कार्यदल– आश्रय प्रबंधन नुकसान ऑकलन द्वारा किये जाने वाले कार्य

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्य दल को घटना स्थल पर रवाना किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल द्वारा घटना का ऑकलन कर यथाशीघ्र कैम्प स्थापित करने का कार्य किया जायेगा।
- आश्रय स्थल पर बिजली, पानी राहत इत्यादि हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
- घटना की प्रगति के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- वास्तविक क्षति ऑकलन हेतु दलों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जायेगा।
- त्वरित कार्यदल द्वारा त्वरित ऑकलन कर रिपोर्ट जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को प्रेषित की जायेगी।
- प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राहत सामग्री, उपकरणों इत्यादि को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रेषित किया जायेगा।